डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत **सहायक कलक्टर चौहटन** **मुकाम** **चौहटन**

व इजलास ***श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.***

अनवान

वादी – **1.रूपाराम पुत्र सताराम, जाति जाट**
निवासी दीनगढ़, तहसील चौहटन
जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण – **1.परमान पुत्र सताराम के कायम मुकाम :–**
1/1.कलाराम 1/2.जवाराराम 1/3.प्रकाश पि. परमान
जाति जाट, निवासी दीनगढ़, तहसील चौहटन
2.शाखा प्रबन्धक बीसीसीबी चौहटन।
3.तहसीलदार चौहटन/सेड़वा।

अधिवक्तागण – वादी वकील – **श्री फताराम गोदारा**

वाद बाबत 88,53,188 RT Act.

मुकदमा नं. 106/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री फताराम गोदारा** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री ....** एड . मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर **ग्राम दीनगढ़, तहसील चौहटन में खसरा सं. 691/122 रकबा 60.00 बीघा, खसरा सं. 121 रकबा 49.10 बीघा के आये हुए है।** उक्त विवादित भूमि_सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है। लगातार शेष पृष्ट पर............ .... बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक .... को अदा करे।

वसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 08.05.2018 को जारी की गई।

दस्तखत..................
ओहदा..................
सहायक कलेक्टर चौहटन

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	रूपाराम पुत्र सताराम , कौम जाट सा.देह खातेदार। रहन : खसरा सं. 121 की भूमि दी.बाड़मेर सेन्ट्रल कॉ.बैंक शाखा चौहटन	दीनगढ़	121 691/122	43.05 23.17	बा.दो. बा.सो.	2.59 1.19	लाल
		योग	**2**	**67.02**	—	**3.78**	**लाल**
2	कलाराम, जवारा राम, प्रकाश पि.परमान, कौम जाट, सा.देह खातेदार रहन :खसरा सं. 121 की भूमि दी.बाड़मेर सेन्ट्रल कॉ.बैंक शाखा चौहटन	दीनगढ़	121 691/122	06.05 36.03	बा.दो. बा.सो.	0.38 1.81	हरा
		योग	**2**	**42.08**	—	**2.19**	**हरा**

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 106/2017

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

अनवान

वादी – 1.रूपाराम पुत्र सताराम, जाति जाट
निवासी दीनगढ़, तहसील चौहटन
जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण – **1.परमान पुत्र सताराम के कायम मुकाम :–**
1/1.कलाराम 1/2.जवारा‌राम 1/3.प्रकाश पि. परमान
जाति जाट, निवासी दीनगढ़, तहसील चौहटन
2.शाखा प्रबन्धक बीसीसीबी चौहटन।
3.तहसीलदार चौहटन/सेड़वा।

अधिवक्तागण – वादी वकील – **श्री फताराम गोदारा**

अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act.

निर्णय

दिनांक :– 08.05.2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प दीनगढ़ में पेश हुई। न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौहटन से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया । लोक अदालत / कोर्ट कैम्प में उभयपक्षकारान उपस्थित हुए। वकील वादी उपस्थित हुए। उभयपक्षकारान ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय अनुसार जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है, वो हमें स्वीकार है। उसी अनुसार निर्णय किया जावे तो हम सहमत है।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वकील वादी एवं उपस्थित पक्षकारों ने तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि वादी का वाद स्वीकार करने योग्य है।

सहायक कलक्टर
चौहटन

अतः न्यायाहित में तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौजा **दीनगढ़, तहसील चौहटन में खसरा सं. 691/122 रकबा 60.00 बीघा, खसरा सं. 121 रकबा 49.10 बीघा के आये हुए है।** उक्त विवादित भूमि_सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	रूपाराम पुत्र सताराम , कौम जाट सा.देह खातेदार। रहन : खसरा सं. 121 की भूमि दी.बाड़मेर सेन्ट्रल कॉ.बैंक शाखा चौहटन	दीनगढ़	121 691/122	43.05 23.17	बा.दो. बा.सो.	2.59 1.19	लाल
		योग	**2**	**67.02**	——	**3.78**	**लाल**
2	कलाराम, जवाराराम, प्रकाश पि.परमान, कौम जाट, सा.देह खातेदार रहन :खसरा सं. 121 की भूमि दी.बाड़मेर सेन्ट्रल कॉ.बैंक शाखा चौहटन	दीनगढ़	121 691/122	06.05 36.03	बा.दो. बा.सो.	0.38 1.81	हरा
		योग	**2**	**42.08**	——	**2.19**	**हरा**

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.05.18 को न्याय आपके द्वार लोक अदालत/कोर्ट कैम्प दीनगढ़ मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक / रीडर / 2018 / ८५०   दिनांक 10/5/18

प्रेषित :–

तहसीलदार चौहटन

विषय :– राजस्व वाद सं. 106 / 17 अनवान रूपाराम बनाम परमान के का.मु. वगैरा में निर्णरू की पालना बाबत् ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक 08.05.18 को पारित किया जाकर अन्तिम डिक्र जारी की गई। अतः उक्त निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति सलंग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंग्न :– निर्णय व अन्तिम डिक्री की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

सहायक कलक्टर
चौहटन

नक्शा खिल्वा (मौजा - दीनगढ़ तह० पौहन

पैमाना - ११२ [illegible]

भूमि धारकों का नाम | काश्तकार का नाम, पिता जाति के पता सहित तथा कूं

142 राज

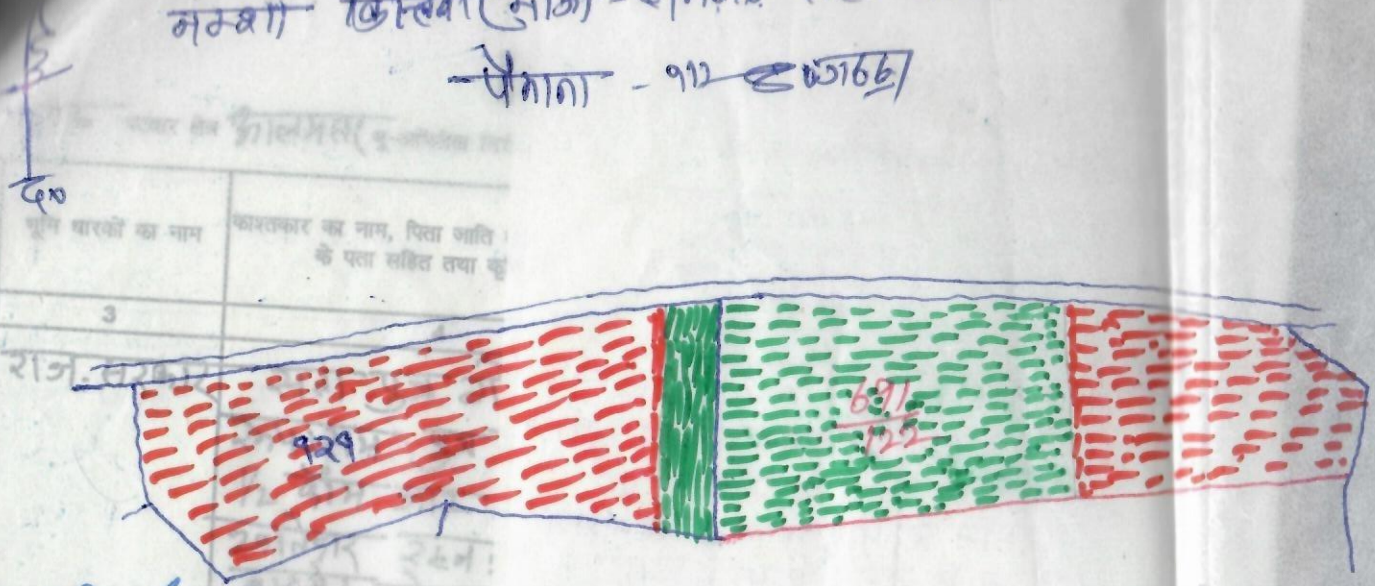

विभाजन प्रस्ताव

खसरा

① वादीगण
रूपाराम पुत्र संताराम
कौम जाट सा० दर [illegible]
🟥 लाल

② प्रतिवादीगण
कालूराम जवाराराम प्रकाश
नि० परमान कौम जाट सा०
देह [illegible]
🟩 हरा

सहायक कलक्टर घाटन

रूपाराम

प्रकाश

जवाराराम

पटवारी

14.5.05.18

ILR आलमसर

पुरारा

अ० नि०
[illegible]
तुलसाराम

अ० नि०
पटवारी
अमीन

अ० नि०
[illegible] लालचन्द
और [illegible]

किशना
[illegible]

फर्द-मौका

दिनांक 05/05/2018 को श्रीमान तहसीलदार साहब चौहटन के आदेश क्रमांक/भू०अभि०/2017/1518 दिनांक 13-7-2017 की पालना मे न्यायालय सहायक कलक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी चौहटन के राजस्व वाद स० 106/2017 अनवान रूपाराम बनाम परमान के का०मु० वगैरा मे मौजा दीनगढ़ के ख० न० 121 रकबा 49-10 बीघा व 691/122 रकबा 60-00 बीघा मे न्यायालय द्वारा जारी दिनांक 10.07.2017 की पालना मे वादीगण व प्रतिवादीगण के रूबरू मौके पर विभाजन प्रस्ताव हेतु पहुँचा। वर्तमान मे राजस्व रेकर्ड अनुसार खाता निम्नप्रकार है।

क्र०सं०	खाता सं. / ग्राम	नाम खातेदार	ख०न०	रकबा	किस्म	लगान
1.	156 (दीनगढ़)	रूपाराम पुत्र सताराम कलाराम जवाराराम प्रकाश पि० परमान कौम जाट सा० देह खातेदार	691/122	60-00	बा० सोयम	3-00
2	157 = दीनगढ़	रूपाराम पुत्र सताराम कलाराम जवाराराम प्रकाश पि० परमान 1/2 रूपाराम पुत्र सताराम 1/2 कौम जाट सा० देह खातेदार रहन० दी बाड़मेर सेन्ट्रल को० बैंक शाखा चौहटन-	121	49-10	बा० दोयम	2-97

सहायक कलक्टर
चौहटन

मौके पर मौका मुआयना किया गया तथा वादीगण व प्रतिवादीगण के रूबरू मौके पर कब्जा व काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार है।

क्रमसं०	नाम ग्राम	नाम खातेदार	ख०न०	रकबा	किस्म	लगान	रंग
(1)	दीनगढ़	रूपाराम पुत्र सताराम कौम जाट सा० देह खातेदार रहन ख०न० 121 की भूमि दी बाड़मेर सेन्ट्रल को० बैंक शाखा चौहटन	121 691/122 कुल ②	43-05 23-17 67-02	बा०दो० बा०दो०	2.59 1-19 3.78	लाल

	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान	वरंग
गा6	कलाराम जेवाराम तकाशा पि० परमान कौम जाट सा० ईदह खातेदार रहन ख.नं. 121 की भूमि रहन दी बाडमेर सेंट्रल को. बैंक शाखा चौहटन	121	= 6-05	बा०दो०	0-38	हरा
		691/122	= 36-03	बा०से०	1.81	
		कुल ②	42-08	—	2-19	

उपरोक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव वादीगण एवम प्रतिवादीगण की आपसी सहमति व मौके पर काश्त व कब्जा अनुसार तैयार किया गया।

फर्द मौका रूबरू मौतबिरान वादीगण व प्रतिवादीगण के रूबरू बनाई जाकर पढ़कर सुनाई जाकर फर्द पर हस्ताक्षर व अंगूठे करवाये गये।

05/05/18
ILR आलमसर

05/05/18
पटवारी आलमसर

सहायक कलक्टर
चौहटन

पुराराम

रूपाराम
(रूपाराम/सालाराम)

कलाराम
(कलाराम/परमान)

अ.नि.
सरवी
जमीन मुल

अ.नि.
वनाराम/
लाखाराम
जाट सिपोल

मफारा

किशनाराम/हनुमानराम

किशनाराम

अ.नि.
जेसाराम/
दुल्हेराम

जवाराराम

तहसीलदार, चौहटन